[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 44/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नयी दिल्ली, 19 जून, 2019
29 ज्येष्ठ, शक 1941

सा.का.नि. (अ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मैन्यूफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन्स इन वेयर हाउस रेगूलेशन्स, 1966 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों को छोड़कर केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (एतश्मिन पश्चात जिसे "बोर्ड" से संदर्भित किया गया है), एततद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है,यथाः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन विनियमों को मैन्यूफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन्स इन वेयर हाउस रेगूलेशन्स, 2019 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है।
(ख) "बॉन्ड अधिकारी" से अभिप्राय किसी वेयर हाउस के सीमाशुल्क- प्रभारी अधिकारी से है।
(ग) "धारा" से अभिप्राय उक्त अधिनियम की धारा से है।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका यहाँ तो प्रयोग हुआ हो लेकिन इन विनियमों परिभाषित न किए गए हों, का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में इनके लिए क्रमशः दिया गया हो।

3. इन विनियमों के अंतर्गत प्रचालन हेतु आवेदन किए जाने के लिए पात्रता- इन विनियमों के अंतर्गत प्रचालन हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे-

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जिसको प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंसिंग रेगूलेशन्स, 2016, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा सा.का.नि. सं. 518(अ), दिनांक 14 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग॥, खण्ड - 3, उपखण्ड (i) के तहत प्रकाशित किया गया था, के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत किसी वेयर हाउस का लाइसेंस दिया गया हो।

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत किसी वेयर हाउस में विनिर्माण कार्य करने या अन्य कोई कार्य करने की अनुमति के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत किसी वेयर हाउस के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा हो।

4. अनुमति के लिए आवेदन- इन विनियमों के अंतर्गत प्रचालन हेतु कोई भी आवेदन प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास किया जाएगा।

5. अनुमति प्रदान किया जाना- विनियम 4 के अनुसार किए गए किसी भी आवेदन की सत्यापन करने के बाद प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रचालन की अनुमति किसी ऐसे व्यक्ति को देगा-

(i) जिसको प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंसी रेगूलेशन्स, 2016 के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत किसी वेयर हाउस के लिए लाइसेंस दिया गया हो।

(ii) जो इस बात की वचन देता हो कि माल को प्राप्त करने और उसका निस्तारण करने का लेखा-जोखा डिजीटल फॉर्म में ऐसे फॉर्मेट में व्यवस्थित रखेगा जो कि विनिर्दिष्ट किया गया हो और वह उसको बॉन्ड अधिकारी के समक्ष मासिक आधार पर उपलब्ध कराता रहेगा।

(iii) ऐसे फॉर्मेट में कोई बॉन्ड भरता हो जो निर्दिष्ट किया जाए।

(iv) इस बात का वचन देता है कि जब भी जरूरी होगा वह कच्चे माल और इसके अंतिम उत्पाद के इनपुट-आउटपुट नॉर्म्स के बारे में बताएगा और यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो इस प्रकार संशोधित नॉर्म्स के बारे में सूचित करेगा।

6. लेखा-परीक्षाः धारा 65 के अंतर्गत प्रचालित किसी प्रचालित इकाई की लेखा-परीक्षा सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

7. अनुमति की वैधता- इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियम 5 के अंतर्गत दी गई कोई अनुमति तब तक वैध रहेगी जब तक कि इसे रद्द या वापस नहीं कर दिया जाता है या धारा 58 के अंतर्गत जारी लाइसेंस को रद्द या वापस नहीं कर दिया जाता है।

8. शास्ति- यदि कोई व्यक्ति इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है या इन विनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं कर पाता है तो वह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति का भागी होगा।

[फा.सं. 484/03/2015- एलसी(पार्ट)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना सं. 155/1966-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जुलाई, 1966 को सा.का.नि. 1174(अ) दिनांक 30 जुलाई, 1966 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।